egf"kZ n;kuUn ljLorh fo'ofo|ky;] vtesj

fo|k ifj"kn~ dh 42oha cSBd

dk;ZoÙk ¼Minutes½

दिनांक : 10 जून, 2009 समयः अपराह्न 11.30 बजे

विद्या परिषद् की 42वीं बैठक दिनांक 10 जून, 2009 को पूर्वाह्न 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

mifLFkfr %

01. प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति, अध्यक्ष
02. प्रो. एम.एल.छीपा, संकायाध्यक्ष– स्नातकोत्तर अध्ययन, संयेाजक– अर्थशास्त्र अध्ययन बोर्ड, एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, म.द.स.विश्वविद्यालय,अजमेर
03. प्रो.के.के. शर्मा, संकायाध्यक्ष (महाविद्यालय) संयोजक– प्राणिशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष– प्राणीशास्त्र, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
04. प्रो.आर.पी.जोशी, संकायाध्यक्ष (समाज विज्ञान), संयोजक– राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष– राजनीतिशास्त्र एवं लोक प्रशासन, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
05. प्रो.बी.पी. सारस्वत, डीन (छात्र कल्याण), संयोजक– ई.ए.एफ.एम. अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष– वाणिज्य, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
06. प्रो. मनोज कुमार, संकायाध्यक्ष (प्रबन्ध अध्ययन), विभागाध्यक्ष– प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
07. प्रो.सर्वेश पालरिया, संकायाध्यक्ष (विज्ञान संकाय), एवं विभागाध्यक्ष– रिमोट सेंसिंग एवं जियो इन्फॉरमेटिक्स, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
08. श्री शेरसिंह दोचाणिया] संकायाध्यक्ष (वाणिज्य संकाय) प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
09. डॉ. वी.जी. जाधव, संकायाध्यक्ष (शिक्षा), संयोजक–शिक्षा अध्ययन बोर्ड, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
10. श्री मदन लाल पीतलिया, संकायाध्यक्ष (विधि संकाय), राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा
11. डॉ. विमला सिंहल, संयोजक– हिन्दी अध्ययन बोर्ड, एम एल वी कॉलेज, भीलवाड़ा
12. डॉ.(श्रीमती) फिरोज बेग, संयोजक– उर्दू, फारसी, अरबी अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
13. डॉ. शैलबाला मिश्रा, संयोजक– अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड, एम.एल.वी. कॉलेज, भीलवाड़ा
14. श्रीमती सौभाग्य गोयल, संयोजक– इतिहास अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
15. डॉ. एन.के. बीजावत, संयोजक– समाजशास्त्र अध्ययन बोर्ड, एस.डी. राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा
16. डॉ. ए.के. मिश्रा, संयोजक– भूगोल अध्ययन बोर्ड, डी.आर.जे. राजकीय महाविद्यालय, जालौर
17. श्री पारस राज धनोटिया, संयोजक–भौतिकशास्त्र अध्ययन बोर्ड, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जालौर।
18. प्रो.एस.के. माहना, संयोजक– वनस्पति शास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष –वनस्पतिशास्त्र, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

19. प्रो. जी.के. कोहली, संयोजक, खाद्य एवं पोषण अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
20. डॉ. नीरज भार्गव, संयोजक–कम्प्यूटर साइंस अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
21. प्रो. के. एल शर्मा, संयोजक–विधि अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
22. प्रो. के.सी. शर्मा, विभागाध्यक्ष– पर्यावरण अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
23. प्रो.लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष –जनसंख्या अध्ययन, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
24. प्रो. एस.एन.सिंह, कार्यवाहक विभागाध्यक्ष– इतिहास विभाग, म.द.स.विश्वविद्यालय,अजमेर
25. श्रीमती राजेश्वरी माथुर, प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़
26. डॉ. शांतीलाल बिहाणी, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
27. डॉ. एन.एल. शर्मा, प्राचार्य, के.डी.जैन कन्या महाविद्यालय, किशनगढ़
28. प्रो. एल.सी. खत्री, भूगोल विभाग, प्रतिनिधि, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
29. श्री बी.एल. सुनारिया, कुलसचिव– सदस्य सचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

fo'k"k vkef=r

01. डॉ. जगराम मीणा, परीक्षा नियन्त्रक, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
02. डॉ. प्रकाश पंकज– उपकुलसचिव (शैक्ष.–I) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
03. श्री आर. के. व्यास– उपकुलसचिव (शैक्ष.–II) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
04. श्री जी.एन. माहेश्वरी– सहा. कुलसचिव (शैक्ष.–III) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
05. डॉ. रवीन्द्र भारती, प्रशासनिक सचिव–कुलपति, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
06. डॉ. वी.पी. अग्रवाल, शिक्षा संकाय, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

fuEufyf[kr lnL; cBd e mifLFkr ugh gk ld

01. डॉ. बसन्ती लाल शर्मा, संयोजक– संस्कृत एवं उपाचार्य, पी.एस.वी. राज. महाविद्यालय, भीलवाड़ा
02. डॉ. राम जायसवाल, संयोजक–ड्रॉइंग एण्ड पेण्टिंग अध्ययन बोर्ड, रामगंज, अजमेर
03. श्रीमती अंजना भार्गव, संयोजक–संगीत अध्ययन बोर्ड, सावित्री कन्या महाविद्यालय,
04. प्रो.के.जी. ओझा, संयोजक– रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष –रसायनशास्त्र, अनुप्रयुक्त रसायन, भैषेजिक रसायनशास्त्र, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
05. श्रीमती इन्दुबाला बाफना, संयोजक– गणित अध्ययन बोर्ड, एमएलवी राज. महा., भीलवाड़ा
06. श्रीमती नयन तारा माथुर, संयोजक– गृह विज्ञान, एस एम एम गर्ल्स कॉलेज, भीलवाड़ा
07. डॉ. सी एल गुप्ता, संयोजक, ए.बी.एस.टी अध्ययन बोर्ड, राज. कन्या महाविद्यालय, अजमेर
08 श्री एन.आर. देवल, संयोजक– व्यवसायिक प्रशासन अध्ययन बोर्ड, प्राचार्य, राज. बांगड महा., पाली
09 श्री महावीर सिंह (सम्भागीय आयुक्त) एवं, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड़, राजस्थान, अजमेर
10 श्री विजय कुमार वैद्य, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)
11. डॉ.एन.एस.शेखावत, विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र विभाग, प्रतिनिधि, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
12. प्रो. बी के श्रीवास्तव, भौतिकशास्त्र, प्रतिनिधि, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
13. निदेशक, आयुक्त महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। विद्या परिषद् की इस बैठक में उपस्थित हुए नए सदस्यों का परिचय कराया गया।

कुलपति महोदय ने आशा व्यक्त की कि, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और शैक्षणेत्तर गतिविधियों में चहुँमुखी विकास के लिए विद्या परिषद् के सभी सदस्य सहयोग प्रदान करें। तत्पश्चात्, बैठक की कार्यसूची पर औपचारिक विचार–विमर्श आरम्भ हुआ।

en	fooj.k	vuHkkx@ foHkkx
en l- 1	विद्या परिषद् की दिनांक 30–04–2009 को सम्पन्न हुई 41वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्र. एफ–13(39)/शैक्षणिक–I/ मदसविवि/2009/21680–724 दिनांक 9.5.2009 को प्रेषित की गई थी।	'k{kf.kd&A

fu.k;   fo|k ifj"kn~ dh cSBd fnukad 30-04-2009 ds dk;zoÙk dh iqf"V dhA

en l- 2	दिनांक 30–04–2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 41वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। ¼ifjf'k"V&1½	'k{kf.kd&A

fu.k;   fo|k ifj"kn~ dh fnukad 30 vizSy] 2009 dks lEiUu gqbZ 41oha cSBd ds dk;zoÙk ij fcUnqokj dh xbZ dk;okgh dh vuqikyuk fjiksVZ dk voyksdu dj fuEukafdr iz{k.k ds lkFk vuqeksnu fd;k x;k %&

fu.k; l-10 ij iz{k.k %
vuqyXud ^d* esa iLrqr izek.ki= dk izk:i ls'kks/ku ¼ifjf'k"V&1½ds lkFk Lohdkj fd;k vkSj ;g Hkh fu.kZ; fd;k fd ftu izkB;Øeksa ds fy, egkfo|ky;ksa }kjk lEc) izek.ki= tkjh fd;k tkrk gS] os mu Nk=ksa dh lwph dqylfpo dks izLrqr djsaxs ftUgsa izek.ki= tkjh fd;k x;k gSA

<u>fu.k; l-11 ij iz{k.k %</u>

fu.k; esa vafdr la[;k 80 dks 40 i<k tkosA

<u>fu.k; l-23 ij iz{k.k %</u>

fuEukafdr lnL;ksa dh lfefr bu fu.k;ksa ds lUnHkZ esa ,slh ifjfLFkfr esa tcfd fu/kkZfjr vof/k esa ijh{kd fu/kkZfjr dk;Z dks le;c)rk ds lkFk iwjk ugha djrs gSa rks muds fo#) D;k dk;okgh dh tkuh pkfg, vkSj ,slh ifjfLFkfr esa vU; ijh{kdksa dh fu;qfDr dh izfØ;k D;k gksuh pkfg,] iLrkfor djsxh %

lg&dqy ifr] Lukrdksùkj & la;kstd
lg&dqy ifr] egkfo|ky;
funs'kd] 'kks/k
lg&dqy ifr] fof/k

mDr lfefr dh laLrqfr;ka fu.kk;Fkk lh/ks izcU/k cksMZ dh cSBd esa j[kus dk fu.k; fd;kA ;g Hkh laLrqfr dh] fd

'kk/k i;ko{kdk dk fMckj dju d fu;e fo|k ifj"kn dh vxyh cBd e iLrr fd, tk,A

<u>fu.k; l-29 ij i{k.k %</u>

fu.k; fd;k fd tgk ikB;Øe ;fuV e foHkkftr g] fdUr i'ui= e i'u ;fuVokj ugh iN x, gk vkj ml fu/kkfjr ikB;Øe d ckgj Hkh u gk] ,lh ifjfLFkfr e fo|kFkh dk ckul vd dk ykHk fn;k tkuk pkfg,A

en l- 3 — विद्या परिषद की निर्णय सं.17 दिनांक 31.01.2009 के प्रावधानान्तर्गत गठित निम्नांकित अध्ययन बोर्डों की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं पर विचार करना :— 'k{kf.kd&AA

Øe l	ldk; dk uke	v/;;u ckM dk uke	cBd dh fnukd	ifjf'k"V ,o i"B l-
01	dyk ldk;	1. हिन्दी	08.06.09	2
		2. उर्दू, अरेबिक, पर्शियन	28.05.09	3
		3. अँग्रेजी	04.04.09	4
		4. संस्कृत	बैठक नहीं हुई	
02	yfyrd yk ldk;	1. ड्रॉइंग एण्ड पेन्टिंग	06.04.09	5
		2. संगीत	03.04.09	6
03	lektfoKku ldk;	1.इतिहास	02.06.09	
		2.समाजशास्त्र	23.04.09	7
		3.अर्थशास्त्र	28.05.09 27.04.09	8
		4.पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	02.06.09	9
		5.राजनीति शास्त्र	03.06.09	10
		6.भूगोल	02.06.09	11
04	foKku ldk;	1.भौतिकशास्त्र	03.06.09 02.06.09	12
		2.रसायनशास्त्र	02.06.09	13
		3.वनस्पतिशास्त्र	13.04.09	14

		4.प्राणिशास्त्र	04.06.09	15
		5.गणित	26.05.09	16
		6.गृह विज्ञान	13.04.09	17
		7.फूड एण्ड न्यूट्रिशन	21.05.09	18
		8.कम्प्यूटर साइंस एण्ड इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी	27.04.09	19
05	*okf.kT; ladk;*	1.लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी	28.05.09	20
		2. व्यावसायिक प्रशासन	15.04.09	21
		3.आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन	29.05.09	22
06	*izcU/k v/;;u*	1. प्रबन्ध अध्ययन	08.06.09	23
07	*fof/k ladk;*	1. विधि	08.06.09	24

fu.k; *v/;;u ckMk@ikB~;Øe lfefr;ksa ds dk;ZoÙkksa ij fopkj 'kS{k&AAA djus ls iwoZ fo|k ifj"kn us lkekU; fu.k; fuEukuqlkj fd, %*

1- *v/;;u ckMks vkSj ikB~;Øe lfefr;ksa }kjk l= 2009 ls tks ,dhd`r* **(integrated)** *ikB~;Øe iLrkfor fd, x, gSa] os 2009&10 ,oa vkxs ds l=ksa ds fy, tc rd fd mueas dksbZ la'kks/ku ;k ifjorZu ugha gksrk gS] iHkkoh jgsaxsA*

2- *iwoZ esa f=o"khZ; vkSj nks o"khZ; ikB~;Øeksa ds ,sls ikB~;Øe tks l= 2010 vkSj l= 2011 dh ijh{kk ds fy, fu/kkZfjr ugha gSa] mudk fu/kkZj.k lEcfU/kr v/;;u ckM@ikB~;Øe lfefr }kjk 'kh?kz djk fy;k tk, vkSj ,sls ikB~;Øeksa dk fo|k ifj"kn dh vkSj ls vuqeksfnr djus ds fy, dqyifr egksn; dks vf/kd`r fd;k gSA*

3- *fu.kZ; fd;k fd] Lukrd vkSj LukrdksÙkj Lrj ds tks ikB~;Øe ikap bdkbZ;ksa* **(Units)** *esa foHkkftr gSa mu lHkh ikB~;Øeksa dks rhu bdkb;ksa esa foHkkftr :i esa Lohdkj fd;k tk,] ftu v/;;u ckMks vkSj*

ikB;Øe lfefr;k u bl idkj dk foHkktu ugh fd;k g] mud l;ktdk dk vf/kdr fd;k fd o ikB;Øek dk okfNr foHkktu djA lkfgR; fo"k;k d ikB;Øek dk rhu bdkb;k e fd;k tkuk lEHko gk rk gh fd;k tk,] vU;Fkk ugh A

4- ftu ikB;Øek d i'ui=k e fodYi g] o fodYi Lukrd Lrj ij rHkh ekU; fd, tk,x tc de l de 10 fo|kFkh ml fodYi dk vkonu djx vkj ijh{kk Qke Hkj nxA blh idkj] LukrdkÙkj ij fodYi rHkh ekU; fd, tk,x tc ml fodYi d fy, de l de 5 fo|kFkh vkonu djx vkj ijh{kk vkonui= Hkj nx vU;Fkk fo'ofo|ky; }kjk mu okdfYid i'ui=k dh ijh{kk dk vk;ktu ugh fd;k tk,xkA

5- fu.k; fd;k x;k fd] LukrdkÙkj ikB;Øek e okdfYid i'ui=k dh l[;k ml l[;k dh rhu xuk fu/kkfjr dh tk, ftl l[;k dk Nk= fodYi nuk gA ftu ikB;Øek e bl l[;k l vf/kd fodYi iLrkfor g mu ikB;Øek e fodYi dh l[;k bl fu.k; d vuq lkj fu/kkfjr djd lfpr dju gr lEcfU/kr v/;;u ckM @ ikB;Øe lfefr d l;ktdk dk vf/kdr fd;k x;kA o ;g dk; vfoyEc djxA

6- fu.k; fd;k fd] iR;d ikB;Øe dh **Proof Reading** lcf/kr iR;d v/;;u ckM@ ikB;Øe lfefr d l;ktd rFkk mDr v/;;u ckM@ikB;Øe lfefr d l;ktd }kjk eukuhr lnL; feydj djA **Proof Reading** d i'pkr l;ktd ,o lnL; ;g Hkh iekf.kr djx fd] ikB;Øe e dkb fo lxfr =fV ugh g vkj og fo|k ifj"kn d vuekonu d vuq lkj gA

7- fu.k; fd;k fd] iR;d v/;;u ckM ,o ikB;Øe lfefr d l;ktd ,o lnL;x.k ;g lfuf'pr djx fd tc rd o v/;;u ckM@ikB;Øe lfefr d lnL; g] rc rd mud }kjk fyf[kr dkb Hkh iLrd ikB;Øe e lEefyr u gk] ;fn io l lEefyr g rk ml Hkh fujLr dj fn;k tk,A vr% ikB;Øe dk emn.k djku l io l;ktd ,lh iLrdk dk fujLr dju d fy, vf/kdr fd, x,A

8- ftu fo"k;k e rhu bdkb;k e ikB;Øek dk foHkktu fd;k x;k g] mue i'ui= Hkh rhu Hkkx e gkxA Hkkx ,] ch rFkk lh ftue vdk dk

foHkkxh; fuEukuqlkj jgsxk %

Part-A Marks 20

bl Hkkx esa 10 ç'u 'kkfey gksaxsA lHkh ç'u djus vfuok;Z gksaxsA izR;sd bdkbZ ls de ls de nks ç'u gksaxsA 'ks"k ,d ç'u rhuksa bdkb;ksa esa ls fdlh ,d bdkbZ ls gksxkA izR;sd ç'u nks vadksa dk gksxkA ç'uksa dk mÙkj 20 'kCnksa ls vf/kd u gksA

Part-B Marks 20

bl Hkkx esa 5 ç'u gksaxsA lHkh ç'u djus vfuok;Z gksaxsA izR;sd bdkbZ ls ,d ç'u gksxkA 'ks"k nks ç'u rhuksa bdkb;ksa esa ls fdlh Hkh bdkbZ ls gksxkA izR;sd ç'u pkj vadksa dk gksxkA ç'uksa dk mÙkj 50 'kCnksa ls vf/kd u gksA

Part-C Marks 60

bl Hkkx esa dqy 3 ç'u gksaxsA izR;sd ç'u esa mlh bdkbZ dk ç'u ^vFkok esa gksxkA izR;sd bdkbZ ls ,d ç'u gksxkA izR;sd ç'u chl vadksa dk gksxkA ç'uksa dk mÙkj 400 'kCnksa ls vf/kd u gksA*

9- *fu.kZ; fd;k fd] lHkh ladk;ksa ds Lukrdksùkj ikB~;Øeksa ds lHkh fo"k;ksa ds ikB~;Øeksa esa ç'ui=ksa dh la[;k vkSj vadksa ds foHkktu esa ,d:irk j[kh tkuh pkfg,A bl nf"V ls ,e-,- Hkkxksy ikB~;Øe dh ç'ui=ksa dh la[;k vkSj vadksa dk foHkktu foKku ladk; ds vuqlkj fd;k tk,A*

10-*o"kZ 2010 ,oa vkxs ds l=ksa esa gksus okyh fofHkUu ijh{kkvksa ds fy, fuEufyf[kr ladk;ksa ds vUrxZr xfBr fuEukfdr v/;;u cksMksZa dh & ikB~;Øeksa ds lca/k esa dh x;h vuq'kalkvksa dks mi;qZä of.kZr fu.kZ;ksa ds lkFk mudss le{k vfdr i{k.kksa ds vuqlkj vuqeksnu fd;k %*

dyk ladk;

1- *fgUnh v/;;u cksMZ & दिनांक 08.06.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में केवल संयोजक उपस्थित रहे हैं। बैठक की गणपूर्ति नहीं हुई है। अतः संयोजक द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में निर्णय हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।*

2- *mnZw vjfcd ,oa ifa'k;u v/;;u cksMZ & दिनांक 28.05.* 2009 की बैठक के कार्यवृत्त में केवल संयोजक उपस्थित रहे हैं। बैठक की गणपूर्ति नहीं हुई है। अतः संयोजक द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में निर्णय हेतु कुलपति को

अधिकृत किया गया।

3. *v|xth v/;;u ckM* & दिनांक 04.04.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

4. *lLdr v/;;u ckM* & बैठक नहीं हुई। अतः पाठ्यक्रमों के संदर्भ में निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

yfyr dyk ladk;

1- Mkbx ,.M if.Vx v/;;u ckM & दिनांक 06.04.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

2- lxhr v/;;u ckM & दिनांक 03.04.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

lekt foKku ladk;

1- bfrgkl v/;;u ckM & दिनांक 02.06.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

2. *lekt 'kkL= v/;;u ckM* & दिनांक 23.04.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया तथा कार्यवृत्त की बिन्दु संख्या 6 को अस्वीकार किया।

3. *vFk'kkL= v/;;u ckM* & दिनांक 28.05.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में संस्तुति संख्या 2 6 (ग्रुप–डी Advanced Industrial Economics के स्थान पर Advanced Industrial Economy पढ़ा जाए।

4. *ifCyd ,MfefuLVs'ku v/;;u ckM* & दिनांक 02.06. 2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया किन्तु विकल्प प्रश्नपत्रों की संख्या विद्या परिषद् के निर्णय के अनुसार निर्धारित किए जाने हेतु संयोजक को अधिकृत किया।

5. *jktuhfr 'kkL= v/;;u ckM* & दिनांक 03.06.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया किन्तु विकल्प प्रश्नपत्रों की संख्या विद्या परिषद् के निर्णय के अनुसार निर्धारित किए जाने हेतु संयोजक को अधिकृत किया।

6. *Hkxky v/;;u ckM* & दिनांक 02.06.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया किन्तु विनियम से हटकर परीक्षा योजना के

सम्बन्ध में की गई संस्तुति को अस्वीकार किया गया।

<u>*foKku ldk;*</u>

1- *Hkkfrd 'kkL= v/;;u ckM &* दिनांक 03.06.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

2. *jlk;u 'kkL= v/;;u ckM &* दिनांक 02.06.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया कि वैकल्पिक प्रश्नपत्र कौन से तीन प्रश्नपत्र वैकल्पिक के रूप में होंगे यह संयोजक निर्धारित करके सूचित करेंगे।

3. *ouLifr 'kkL= v/;;u ckM &* दिनांक 13.04.2009 की बैठक के कार्यवृत्त की संस्तुति संख्या 3, 5 और 6 को स्वीकार किया तथा संस्तुति संख्या 4 को इस उल्लेख के साथ स्वीकार किया कि, प्रस्तावित परिवर्तन विनियम में निर्धारित परीक्षा योजना से पृथक नहीं होना चाहिए।

4. *ikf.k'kkL= v/;;u ckM &* दिनांक 04.06.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

5- *xf.kr v/;;u ckM &* दिनांक 04.06.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया किन्तु वैकल्पिक प्रश्नपत्रों की संख्या विद्या परिषद् के निर्णय के अनुसार संयोजक को अधिकृत किया गया।

6- *xg foKku v/;;u ckM &* दिनांक 13.04.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

7. *QM ,.M U;fV'ku v/;;u ckM &* दिनांक 21.05.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया किन्तु एमएससी और एमफिल के पाठ्यक्रम का नाम परिवर्तित किए जाने की संस्तुति को अस्वीकार किया।

8. *dEI;Vj lkbl ,.M bUQkei'ku VDukykth v/;;u ckM &* दिनांक 27.04.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों पर अध्ययन बोर्ड और पाठ्यक्रम समिति की बैठकों में पुनर्विचार किया जाए। यह बैठक कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयेाजित की जाए।

<u>*okf.kT; ldk;*</u>

1- *y[kk ,o O;kolkf;d lkf[;dh v/;;u ckM &* दिनांक 28.05.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में

की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

2- 0;kolkf;d i'kklu v/;;u ckM & दिनांक 15.04.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

3- vkfFkd i'kklu ,o foÙkh; icU/k ckM & दिनांक 29.05.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

<u>icU/k v/;;u ldk;</u>

icU/k v/;;u v/;;u ckM & दिनांक 08.06.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया किन्तु प्रस्तावित विनियम 22 और 22बी पर पुनर्विचार कर स्वीकार किए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

<u>fof/k ldk;</u>

fof/k v/;;u ckM & दिनांक 08.06.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में समिति की संस्तुति पर पुनर्विचार करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया :

1. संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर
2. संकायाध्यक्ष, विधि
3. प्रो. के.एल. शर्मा

समिति की संस्तुतियाँ विद्या परिषद् की ओर से स्वीकार करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

en l- 4 निम्नांकित पाठ्यक्रम समितियों की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं पर विचार करना :– 'k{kf.kd&A AA

Øe l0	ldk; dk uke	ikB;Øe lfefr;k dk uke	cBd dh fnukd	ifjf'k"V ,o i"B l-
01	dyk ldk;	सिन्धी	26.05.09	25
		जीवन विज्ञान एवं जैन दर्शन	08.04.09	26
		दर्शनशास्त्र	08.04.09	27
		जर्मन भाषा	11.05.09	
		राजस्थानी भाषा	21.04.09	28
02	lekt foKku ldk;	मनोविज्ञान	11.05.09	29 2
		जनसंख्या अध्ययन	03.06.09	30 4

		डिप्लोमा इन हैरिटेज टूरिज़्म एण्ड हौटल मैनेजमैण्ट	11.05.09	41। 1
		डवलपमैण्ट स्टडीज़	08.06.09	41न 1
		व्यावसायिक अर्थशास्त्र	बैठक नहीं हुई	
03	*foKku lidk;*	सूक्ष्म जैविकी	29.05.09	31 4
		पर्यावरणीय विज्ञान	06.06.09	32 20
		रिमोट सेसिंग एण्ड जियोइनफोरमैटिक्स	24.04.2009	33 1
		कम्प्यूटर एप्लीकेशन	04.06.09	34 12
		अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र	01.06.09	35 1
		भेषजकीय रसायन शास्त्र	बैठक अपेक्षित नहीं	
		भूगर्भशास्त्र	25.04.09 09.06.09	36 19
		बायोटेक्नोलॉजी	13.04.09	37 1
04	*icU/k v/;;u*	उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबंध	31.03.09	38
05	*f'k{kk lidk;*	शिक्षा	30.03.09	39 1
		लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साइंस	11.05.09	41ठ 1
		शारीरिक शिक्षा	29.05.09	40 4
09	*ofnd v/;;u lidk;*	योग एवं मानव चेतना	08.06.09	41
10	*tufyTe ,.M ekl dE;fud'ku*	जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन	08.05.09	41द 2

fu.k; *o"k 2010 ,o vkxs ds l=k e gksus okyh fofHkUu ijh{kkvks ds fy, fuEufyf[kr ladk;ks ds vUrxZr xfBr fuEukfdr ikB~;Øe lfefr;ks dh vuq'kalkvks dk fu.k; la[;k 3 e Øekd 1 ls 9 rd ds fu.k;ks ds lkFk] muds le{k vafdr ij{k.k ds vuqlkj vuqeksnu fd;k x;k %*

dyk ladk;

1- *flU/kh ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 26.05.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

2- *thou foKku ,o tu n'ku ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 08.04.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया किन्तु परीक्षा योजना के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों को इस उल्लेख के साथ स्वीकार किया गया कि वे परीक्षा योजना के सम्बन्ध में विद्या परिषद् के निर्णय के अनुरूप होनी चाहिए।

3- *n'ku'kkL= ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 08.04.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में यह स्पष्ट नहीं है कि, पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किए गए हैं। अतः इन संस्तुतियों पर समुचित निर्णय किए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

4- *teZu Hkk"kk ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 11.05.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

5- *jktLFkkuh Hkk"kk ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 21.04.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

<u>*lektfoKku ladk;*</u>

1- *ekufoKku ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 11.05.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को अस्वीकार किया।

2- *tul[;k v/;;u ikB~;Øe lfefr &* दि. 3.6.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

3- *fMIyksek bu gsfjVst VfjTe ,.M gksVy esustes.V ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 11.05.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुति संख्या 2 को स्वीकार किया। पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में की गई शेष संस्तुतियों को स्वीकार किया।

4. *Moyies.V LVMht ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 08.06. 2009 को सम्पन्न पाठ्यक्रम समिति की बैठक की इस संस्तुति को स्वीकार किया कि डवलपमेण्ट स्टडीज में एम.फिल.

समसत्र योजना के अन्तर्गत आरम्भ किया जाए। एम.फिल डवलपमैण्ट स्टडीज की उपाधि समाजविज्ञान संकाय के अन्तर्गत देय होगी। अतः इस पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण रूपरेखा और योजना पाठ्यक्रम समिति द्वारा शीघ्र तैयार करके कुलपति महोदय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाए।

5- *0;kolkf;d vFk'kkL= ikB~;Øe lfefr &* पाठ्यक्रम समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कराकर उसकी संस्तुतियां विद्या परिषद् की ओर से स्वीकार करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

foKku l dk;

1- *l{e t fodh ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 29.05.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

2- *i;kZoj.kh; foKku ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 06.06. 2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

3- *fjekV lfl x ,.M ft;k bUQkefVDl ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 24.04.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में यह स्पष्ट नहीं है कि, पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किए गए हैं। अतः इन संस्तुतियों पर समुचित निर्णय किए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

4- *dEI;Vj ,Iyhds'ku ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 04.06. 2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया किन्तु परीक्षा योजना के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर विचार कर निर्णय करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

5- *vuii;Dr jlk;u 'kkL= ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 01. 06.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में यह स्पष्ट नहीं है कि, पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किए गए हैं। अतः इन संस्तुतियों पर समुचित निर्णय किए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

6- *HkxHk 'kkL= ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 25.04.2009 एवं 09.06.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

7- *ck;kVDukykth ikB~;Øe lfefr &* दिनांक 13.04.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में यह स्पष्ट नहीं है कि, पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किए गए हैं। अतः इन संस्तुतियों पर समुचित निर्णय किए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

icU/k v/;;u l dk;

1- *m|ferk ,o y?kq 0;olk; icU/k ikB;Øe lfefr &* दिनांक 31.03.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में यह स्पष्ट नहीं है कि, पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किए गए हैं। अतः इन संस्तुतियों पर समुचित निर्णय किए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

<u>f'k{kk ladk;</u>

2- *f'k{kk ikB;Øe lfefr &* दिनांक 31.03.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

3- *ykbczsjh ,.M bUQkesZ'ku lkbal ikB;Øe lfefr &* दिनांक 11.05.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में यह स्पष्ट नहीं है कि, पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किए गए हैं। अतः इन संस्तुतियों पर समुचित निर्णय किए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

4- *'kkjhfjd f'k{kk ikB;Øe lfefr &* दिनांक 29.05.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

<u>ofnd v/;;u ladk;</u>

1- *;kx ,o ekuo psruk ikB;Øe lfefr &* दिनांक 08.06. 2009 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की संस्तुति संख्या 4 को अस्वीकार किया। पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में की गई शेष संस्तुतियों को स्वीकार किया।

<u>tufyTe ,.M ekl dE;wfuds'ku ladk;</u>

1- *tufyTe ,.M ekl dE;wfuds'ku ikB;Øe lfefr &* दिनांक 08.05.2009 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किया।

en la- 5 राजकीय महाविद्यालय, अजमेर परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक द्वारा स्थानीय सम्बद्ध महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों से उनकी परीक्षा का प्रवेश पत्र देने से पहले 50/– रू. प्रति परीक्षार्थी अनाधिकृत शुल्क लिए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेकर कुलपति महोदय के आदेशानुसार केन्द्राधीक्षक, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक एफ.( ) परीक्षा/ मदसविवि/2009/1895 दिनांक 12.03.2009*¼ifjf'k"B&42½* में दिये गये निर्देश की अवज्ञा करने और उसके पत्र के उत्तर में प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर द्वारा भेजे गये पत्र एफ.2( )अकादमी/जीसीए/2009/ 2310 दिनांक 13.03.2009 *¼ifjf'k"B&43½* में किये गये उल्लेख पर विचार कर उक्त परीक्षा केन्द्र के संबंध में निर्णय करना। *ijh{kk fu;=d*

fu.kZ; *fo|k ifj"kn~ dh vxyh cSBd esa fopkj fd;k tk,A*

en l- 6	प्राणिशास्त्र विभाग, मदसविवि, अजमेर में शोध निर्देशक प्रो. के.के. शर्मा के निर्देशन में पंजीकृत शोधार्थी सरिता मेहरा के पीएच.डी. हेतु विभाग में कार्य आरम्भ करने के लिए जॉइनिंग रिपोर्ट तथा निर्धारित शुल्क की रसीद अस्थाई पंजीयन की दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर शोध अनुभाग में नहीं भिजवाए जाने के कारण शोधार्थी के निरस्त किए गए अस्थाई पंजीयन को इस कारण से मान्य किए जाने पर विचार करना कि, इसमें शोधार्थी की कोई त्रुटि नहीं है, अपितु विभाग एवं शोध निर्देशक के स्तर पर यह त्रुटि हुई है।	*'kk/k*
fu.k;	***en e vfUre ifDr e ^^vfir foHkkx ,o 'kk/k fun'kd d Lrj ij ;g =fV gbZ g** okD; fujLr dj fn;k tk, vkj 'kk?kkFkhZ dk fujLr fd;k x;k ith;u cgky dj fn;k tkoA***	
en l- 7	अध्यादेश 124.11(पपप) के अन्तर्गत स्टैण्डिंग कमेटी की अनुशंषा का अनुमोदन विलम्ब से प्राप्त होने के कारण शोधार्थी महेन्द्र कुमार राठौड़िया, जिनकी शोध जमा कराने की तिथि 3.4.2009 थी, उन्हें निम्नांकित आधार पर शिथिलता प्रदान करना : 1. इस प्रकार का कोई अन्य प्रकरण लम्बित नहीं है। 2. शोधार्थी का शोध कार्य पूर्ण है तथा शोध प्रबन्ध जमा कराने हेतु तत्पर है। 3. पूर्व में ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया है।	*'kk/k*
fu.k;	***mDr iLrko bl 'krZ d lkFk Lohdkj fd;k fd] 'kk/kkFkhZ dk i= nu d ,d ekg d Hkhrj 'kk/kkFkhZ dk viuk 'kk/k icU/k tek djkuk gkxkA***	
en l- 8	सम्बद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी.एड. महाविद्यालयों) द्वारा सत्रांक आन्तरिक मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शिक्षा संकाय के संकायाध्यक्ष के निम्नांकित प्रस्तावों पर विचार करना : 1. प्रत्येक बी.एड. कॉलेज आन्तरिक परीक्षाएं विश्वविद्यालय के पैटर्न पर लिखित रूप में ले। 2. आन्तरिक परीक्षाओं की सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर दी जाए और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक को भी सूचित किया जाए। 3. इन परीक्षाओं में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति का स्पष्ट अभिलेख रखें और जिसे सम्बन्धित प्राचार्य प्रमाणित करे। 4. आन्तरिक परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर तथा विद्यार्थी के माता–पिता / संरक्षक व विश्वविद्यालय को प्रमाणिकता से तुरन्त सूचित किया जाए। 5. वैध कारणों से आन्तरिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले	*xkiuh; ,o 'k{kf.kd&A A*

विद्यार्थियों के लिए तृतीय परीक्षा आयोजित करने की अनुमति विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक से प्राप्त की जाए।

6. प्रत्येक महाविद्यालय को विद्यार्थियों के सत्रांक मय उपस्थिति पत्र विश्वविद्यालय को आन्तरिक परीक्षा के तुरन्त बाद प्रेषित करने होंगे।

fu.k; *mDr iLrko bl l'kks/ku ds lkFk Lohdkj fd;k fd] en e fcUnq l-4 vkj 6 e tgk&tgk ^rjUr* 'kCn fy[kk g] ogk ^,d lIrkg* i<k tk,A bl ds vfrfjDr ;g Hkh lLrqfr dh fd]vkUrfjd eY;kadu ijh{kk vk;ksftu dk fjdkM lEcfU/kr egkfo|ky; }kjk ml ikB;Øe dh ijh{kk ds ifj.kke dh ?kks"k.kk gks tkus ds ckn Hkh ,d ekg rd lqjf{kr j[kk tk,A*

en l-9 ;पद्ध <u>प्रतिवेदन है कि</u>, विश्वविद्यालय परिसर में संचालित *'मास्टर ऑव आर्ट्स– सैनिक एवं सामरिक अध्ययन (उत्तरार्द्ध)'* में अध्ययनरत 5 विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु उपयुक्त शिक्षक नहीं मिल पाने के कारण उन छात्रों को स्वयंपाठी छात्र के रूप में परीक्षा देने की अनुमति माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान की है। *'k{kf.kd&A AA*

fu.k; *ifrofnr vkns'k dh iqf"V dhA*

en l-10 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 3 दिनांक 31 जनवरी, 2009 में स्वीकृत, प्रो. आर.पी. जोशी की अध्यक्षता में गठित समिति की निम्नलिखित संस्तुति संख्या 1 पर पुनर्विचार करना : *jktuhfr foKku foHkkx*

''शैक्षणिक स्टाफ के तत्वावधान में होने वाले कार्यक्रमों में 2 अक्टूबर, गाँधी जयन्ती दिवस को *^vUrjk"Vh; vfgalk fnol*'* के रूप में मनाया जाए, जिसमें सभी व्याख्याताओं व विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। गाँधी सप्ताह आयोजित हो, जिसमें गाँधी सम्बन्धी संगोष्ठी, चार्ट प्रदर्शनी, प्रश्न प्रतियोगिता, निबन्ध आदि अनेक कार्यक्रम व प्रतियोगिताएँ आयोजित हों, जिससे कि गाँधी जी के दर्शन का अधिकाधिक अनुशीलन किया जाए।''

fu.k; *mDr lLrqfr dk fuEukuqlkj l'kksf/kr fd;k %*

^^jktuhfr foKku foHkkx ds rRoko/kku e gksus oky fo'ofo|ky e 2 vDVwcj] xk/kh t;Urh fnol dks ^vUrjk"Vh; vfgalk fnol ds :i e euk;k tk,] ftle lHkh 0;k[;krkvks o fo|kfFk;ks dh mifLFkfr vfuok;Z dh tk,A xk/kh lIrkg vk;ksftr gks] ftle xk/kh lEcU/kh laxks"Bh] pkVZ izn'kuh] iz'u ifr;ksfxrk] fucU/k vkfn vusd dk;Øe o ifr;ksfxrk,¡ vk;ksftr gks] ftlls fd xk/kh th ds n'ku dk vf/kdkf/kd vuq'khyu fd;k tk,A**'*

en l-11 अधिनियम की धारा 5(घ) एवं परिनियम 9(2) के अन्तर्गत निम्नांकित स्कूलों की स्थापना एवं उनके अन्तर्गत विभागों और अध्ययन केन्द्रों का *'k{kf.kd&A*

समनुदेशन माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार किया गया है। ये आदेश दिनांक 1.6.2009 से प्रभावशील हैं :

School of Life Sciences	**School of Management & Commerce**
Department of Botany (वनस्पति शास्त्र विभाग)	Department of Management Studiè (प्रबन्ध अध्ययन विभाग)
Department of Zoology (प्राणि शास्त्र विभाग)	Department of Commerce (वाणिज्य विभाग)
Deartment of Food Science & Nutrition (खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग)	Center for Entrepreneurship and Small Business Management (ESBM) (उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबन्ध केन्द्र)
Department of Microbiology (सूक्ष्म–जैविकी विभाग)	School **of Law**
School of Earth System Sciences	Department of Law (विधि विभाग)
Department of Earth Science (भू–विज्ञान विभाग)	School of Physical Sciences
Department of Environmental Science (पर्यावरणीय विज्ञान विभाग)	Department of Pure & Applied Chemistry (विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग)
School of Engineering & Systems Science**s**	School of Media and Journalism
Department of Computer Science (कम्प्यूटर विज्ञान विभाग)	Department of Journalism & Mass Communication (पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग)
School of Space Sciences	Department of Multi-Media Communication Studies
Department of Remote Sensing & Geoinformatics (रिमोट सैंसिंग एवं जियो इन्फॉर्मेटिक्स विभाग)	(मल्टी–मीडिया संचार अध्ययन विभाग)
School of Social Sciences	School of Education
Department of Political Science (राजनीति विज्ञान विभाग)	Department of Education (शिक्षा विभाग)
Department of History (इतिहास विभाग)	Department of Library & Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग)
Department of Population Studies (जनसंख्या अध्ययन विभाग)	School of Art & Language
Department of Applied Psychology (अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग)	Bharat Vidhya Adhyan Sankul (भारतविद्या अध्ययन संकुल)
Department of Social Work (सामाजिक कार्य विभाग)	
Department of Economics (अर्थशास्त्र विभाग)	
Center for Developmental Studies (विकासात्मक अध्ययन केन्द्र)	

दिनांक 1.6.2009 से विश्वविद्यालय के निम्नांकित विभागों/संस्थानों का नाम भी निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है :

foHkkx@ l LFkku dk or eku uke	ifjofr r uke
Foods & Nutrition (खाद्य एवं पोषण)	Food Science & Nutrition (खाद्य विज्ञान एवं पोषण)
Environmental Studies (पर्यावरणीय अध्ययन)	Environmental Science (पर्यावरणीय विज्ञान)
Computer Application (कम्प्यूटर अनुप्रयोग)	Computer Science (कम्प्यूटर विज्ञान)
कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी पत्रकारिता संस्थान Captain Durga Prasad Choudhary Institute of Journalism	कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग Department of Captain Durga Prasad Choudhary Journalism & Mass Communication

fu.k ; mi ;ä leun 'ku dk fuEukfdr l 'kk/kuk d lkFk iHkkoh ekU; fd ;k tk,%

School of Management and Commerce के स्थान पर School of Business i<k tk,A

School of Vedic Science dk xBu fd ;k tk,] ftles **Department of Vedic Vangamaya and Sanskrit** vkj **Department of Yogic Science & Human Consciousness** lekfo"V fd, tk,A

en l- 12 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 9(ख) और (ग) दिनांक 25.5.2007 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो. एस.के. माहना की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.7.2007 ¼ifjf'k"B&44½ और 26.5.2009 ¼ifjf'k"B&45½ की संस्तुतियों में मास्टर ऑव फिलॉसफी के अध्यादेश 123 के सन्दर्भ में की गई अनुशंषाओं पर विचार करना और उन्हें वर्ष 2008 की परीक्षा से प्रभावी करने पर विचार करना। 'k{kf.kd &A

fu.k ; fnukd 12 t ykb] 2007 dk lEiUu lfefr dh lLrfr ;k dk fuEukfdr l 'kk/kuk d lkFk Lohdkj dju dh lLrfr dhA

1- fcUn l[;k 4 & bl iko/kku e okD; **'The external M.Phil. Supervisor shall be paid honorarium for each dissertation as decided by the University from time to time.'** foykfir fd ;k tk,A

O.123 (b) 6 e okD; **The Board of Studies shall prepare a separate panel of examiners for M.Phil. theory as well as dissertation."** dk foykfir fd ;k tk,A

O.123(b) 7 or eku iko/kku d LFkku ij ;g fy[kk tk, fd

"M.Phil. examination will normally be held in the month of May each year and the dissertation must be submitted by the concerning HOD/Principal of the College latest by the 21 days of the commencement of M.Phil. examination. The marks of internal assessment should be sent to the University before the commencement of the theory examination.

O.123(b) 8 प्रस्तावित प्रावधान के स्थान पर यह लिखा जाए कि

The answer books of theory examination and the dissertation shall be evaluated by single examiner and after declaration of the result if the student concerned so desires shall be entitled for reevaluation facility in accordance with the provisions of re-evaluation of answer books in theory papers.

O.123 (b) *9 lQy fo|kfFk;k d vdk d oxhdj.k d lfefr }kjk iLrkfor iLrko d LFkku ij fuEukuqlkj fy[kk tkos %*

Pass	**50% or more but less than 55% marks in the aggregate**
IInd Div.	**55% or more but less than 65% marks in the aggregate**
Ist Div.	**65% or more but less than 75% marks in the aggregate**
Distinction	**75% or more marks in the aggregate**

en l- 13 विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24(2), परिनियम 17, तत्सम्बन्धी अध्यादेशों एवं विनियमों के प्रावधानान्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को सम्बद्धता हेतु निर्धारित मानदण्डों एवं शर्तों का उल्लंघन करने अथवा पालना नहीं करने पर महाविद्यालय के विरुद्ध आर्थिक दण्ड लगाए जाने पर विचार करना। *'k{kf.kd&A A*

fu.k; *fuEukfdr ifjfLFkfr;k e vkfFkd n.M fuEukuqlkj yxk, tku dh lLrqfr dh %*

1. निर्धारित योग्यताधारी शिक्षक नियुक्त नहीं पाए जाने पर –

   ikQ'kuy ikB;Øek dk NkM+dj vU; ikB;Øek e :- 20]000@& ifr ikB;Øe] ifr;d l=A ikQ'kuy ikB;Øek e ifr ikB;Øe :-1]00]000@& ifr l=A nk ekg e ;kX;rk/kkjh f'k{kd fu;Dr djuk vfuok;Z vU;Fkk vxy l= e lEc)rk dh of) u dh tk,A

2. विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 12.9.2008 की निर्णय सं.4(3) के तहत् निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप शिक्षण सुविधाएँ नहीं पाए जाने पर –

   fu/kkfjr vof/k d fy, :-30]000@& fo'ofo|ky; e tek djokdj ekun.Mk d vuq:i lqfo/kkvk dh 0;oLFkk djuk vU;Fkk :-50]000@& ifr ekg d fglkc l tek djuk gkxkA

3. राज्य सरकार द्वारा जारी मान्यता पत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि में स्वयं के भूमि एवं भवन की व्यवस्था नहीं किए जाने पर – *:-1]00]000@& lEcfU/kr l= d fy, rFkk vxy l= e lEc)rk e of) ugh dh tk,xhA*

4. पुस्तकालय की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर –

   :-50]000@& ifr l=A

5. शिक्षक प्रशिक्षण (बी.एड.) महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिए जाने

की शिकायत सही पाए जाने पर–

:-5]000@& izfr Nk= vkSj lEcfU/kr fo|kFkhZ ls fy;k x;k 'kqYd iqu% Nk= dks ykSVkuk gksxkA

6. महाविद्यालय परिसर में एक से अधिक शिक्षण संस्थाएं संचालित किया जाना पाए जाने पर –

:-1]00]000@& izfr lLFkk] izfr o"kZ vU; lLFkk cUn ugha djus ij vkxkeh l= ls lEc)rk dh lekfIrA

7. आवण्टित सीटों से अधिक सीटों पर प्रवेश दिए जाने पर –

:-10]000@& vf/kd izosf'kr izfr Nk= ¼;g jkf'k egkfo|ky; }kjk fo'ofo|ky; esa tek djk, tkus okys f'k{k.k 'kqYd ,oa izos'k 'kqYd ds vfrfjDr nsa; gksxh½ ;g jkf'k egkfo|ky; }kjk ogu dh tk,xh] ftldh olwyh egkfo|ky; }kjk Nk=ksa ls ugha dh tk,xhA ;fn Nk=ksa ls olwyh fd;k tkuk ik;k tkrk gS rks fcUnq l-5 ds vuqlkj jkf'k Hkh vfrfjDr :i ls nsa; gksxhA

8. महाविद्यालय द्वारा गलत दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर –

:-50]000@& ,oa lEc)rk lekfIrA

9. बकाया सम्बद्धता शुल्क व विलम्ब शुल्क जमा नहीं कराने पर –

¼d½ l= 2009&10 ls iwoZ o"kksZa dh dqy cdk;k jkf'k fnukad 31 fnlEcj] 2009 rd e; cdk;k jkf'k ds 25 izfr'kr vkfFkZd n.M ds lkFk tek djkuk vfuok;Z gksxk vU;Fkk l= 2010&11 dh lEc)rk Lor% gh lekIr ekuh tk,xhA

¼[k½ l= 2009&10 ,oa i'pkrorhZ o"kksZa gsrq 30 ebZ rd lEc)rk 'kqYd ,oa lEc)rk 'kqYd ds cjkcj foyEc 'kqYd dh jkf'k] 31 ebZ ls 1 tqykbZ rd lEc)rk 'kqYd ,oa lEc)rk 'kqYd dk 3 xquk foyEc 'kqYd] 2 tqykbZ ls 31 fnlEcj rd] 1 tqykbZ rd ns; lEc)rk 'kqYd ,oa foyEc 'kqYd dh dqy jkf'k dh nksxquh jkf'k vkfFkZd n.M ds :i esa tek djkuh gksxh vU;Fkk vkxkeh l= ls lEc)rk Lor% lekIr ekuh tk,xhA

10.नवीन सम्बद्धता की शर्तों की निर्धारित अवधि में बिन्दुवार पूर्ण अनुपालना मय दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर –

ikB;Øe ds lEc)rk 'kqYd ds cjkcj jkf'kA ;g jkf'k fcUnq l-9 ds vfrfjDr nsa; gksxhA

11(1) mDr izko/kku l= 2009&10 ls izHkkoh gksxsA

11¼2½ egkfo|ky; ds fujh{k.k@tkap fjiksVZ ds vk/kkj ij lEc)rk lfefr dh vuq'kalk ij egkfo|ky; ij vkfFkZd n.M yxk, tkus gsrq dqyifr egksn;

vf/kdr gkxA

11¼3½ ,l egkfo|ky; ftudh lEc)rk mijkDrkuqlkj lekIr ?kkf"kr dh tkrh g dh }kjk vkfFkd n.M dh jkf'k tek djku d i'pkr uohu lEc)rk gr fu/kkfjr ik:i ij e; 'kYd vkonu iLrr dju ij lEc)rk ij fopkj fd;k tk,xkA

en l- 14	विद्या परिषद् की निम्नांकित निर्णय संख्या 15 दिनांक 16.7.2008 के सन्दर्भ में ऐसे मामलों में जिन्होंने अस्थाई सम्बद्धता बढ़ाने या स्थाई सम्बद्धता देने के लिए 31 मई, 2008 से 1 जुलाई, 2008 तक आवेदन किया हो, उसे सम्बद्धता शुल्क का 3 गुना विलम्ब शुल्क जमा कराने का निर्णय लिया है, जिसके क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं के स्पष्टीकरण का विचार करना :	*'k{kf.kd&A A*

विश्वविद्यालय के अध्यादेश 51(1) के अनुसार जो महाविद्यालय अपनी अस्थायी सम्बद्धता को बढाने/स्थाई सम्बद्धता लेने के लिए 30 मई तक आवेदन नहीं कर सके, यदि उन्होंने आवेदन दिनांक 31 मई, 2008 से 1 जुलाई, 2008 तक बकाया है तो उन्हें सम्बद्धता शुल्क का 3 गुना विलम्ब शुल्क जमा कराना होगा। विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुासर 30 मई, 2008 के बाद नवीन सम्बद्धता के लिए प्राप्त हुए आवेदनपत्रों परविचार नहीं हो सकता है। अतः वे आवेदनपत्र सम्बन्धित संस्था को पुनः लौटा दिए जाएं।

<u>*Li"Vhdj.k d fcUn %*</u>

1. उक्त निर्णय सत्र 2008–09 हेतु देय शुल्क के सम्बन्ध में ही लागू होगा, या पूर्व वर्षों के देय बकाया शुल्क जो कि सत्र 2008–09 में भी देय है एवं बकाया है, पर भी लागू होगा।
2. जिस महाविद्यालय द्वारा सत्र 2008–09 एवं पूर्व वर्षों का बकाया सम्बद्धता शुल्क व विलम्ब शुल्क सत्र 2009–10 का भी अब तक जमा नहीं कराया गया है से उक्त निर्णयानुसार कितना विलम्ब शुल्क लिया जाना है।
3. पूर्व में महाविद्यालय द्वारा आंशिक शुल्क जमा कराने पर शेष राशि व सम्बद्धता शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क लिया जा रहा है। अतः क्या ऐसे महाविद्यालयों से भी उक्त निर्णयानुसार तीन गुना अतिरिक्त विलम्ब शुल्क लिया जाना है।
4. इस निर्णय के अनुसार 1 जुलाई, 2008 के पश्चात् कितना विलम्ब शुल्क लिया जाना है।

fu.k;	*mi;ä iLrko dk fu.k; l[;k 13 d ifjik{; e okil fy;kA*	
fu.k; 15	*io'k uhfr@'k{kf.kd dy.Mj ¼okf"kd vkj lel=½ dk tkjh dju gr dyifr egkn; dk vf/kdr fd;kA*	*'k{kf.kd&A A*

dyifr *dylfpo*